छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-15

नवा रायपुर अटल नगर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित एवं 71 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-01 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) **पटल पर रखा।**

3. पूच्छा

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, रामकुमार यादव, ब्यास कश्यप, भूपेश बघेल, लखेश्वर बघेल, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी सदस्यों ने विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

4. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज की कार्य-सूची में 71 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री रिकेश सेन, सदस्य ने जिला दुर्ग वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद (03) से (71) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे । सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

6. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज मैंने सदन में 31 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेगें।

1. श्री रिकेश सेन (4 सूचनाएं)
2. श्री भोलाराम साहू
3. श्रीमती चातुरी नंद (4 सूचनाएं)
4. श्री ब्यास कश्यप
5. श्री विक्रम मण्डावी
6. श्री कवासी लखमा
7. श्री बघेल लखेश्वर (2 सूचनाएं)
8. श्रीमती शेषराज हरवंश
9. श्री रोहित साहू (2 सूचनाएं)
10. श्री संदीप साहू
11. श्रीमती रायमुनी भगत (2 सूचनाएं)
12. श्री दलेश्वर साहू (2 सूचनाएं)
13. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (2 सूचनाएं)
14. श्री ओंकार साहू
15. श्री बालेश्वर साहू (2 सूचनाएं)
16. श्रीमती अंबिका मरकाम (3 सूचनाएं)
17. श्री जनक ध्रुव

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री पुन्नूलाल मोहले, सभापति ने पी.डी.एस. के तहत् संचालित दुकानों की जांच हेतु सदन द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री सुशांत शुक्ला
2. श्री मोतीलाल साहू
3. श्री उमेश पटेल
4. श्रीमती चातुरी नंद
5. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
8. श्री ललित चन्द्राकर

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इस आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के लिये अनुमति प्रदान की है तथा चर्चा के लिये 30 मिनट का समय निर्धारित किया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026)

श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) का पुरःस्थापन किया।

(2) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026)

श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम मण्डावी) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, रामकुमार यादव, अनुज शर्मा

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री मोतीलाल साहू, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 22 व अनुसूची इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, कुंवर सिंह निषाद, नीलकण्ठ टेकाम,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

श्री द्वारिकाधीश यादव, नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत)।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 22 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(माननीय सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप के आग्रह पर आज की कार्यसूची के पद क्रम 7 में शामिल अशासकीय संकल्पों को आगामी सत्र में लिये जाने की घोषणा की)

10.समितियों का निर्वाचन एवं नाम-निर्देशन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि-

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिये नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए नौ-नौ उम्मीदवारों के ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं। चूंकि पांचों समितियों हेतु नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित होना हैं। अतः मैंने इन समितियों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन प्रपत्र अनुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है।

(2) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में प्रावधान के अनुसार मैंने नाम-निर्दिष्ट समितियों के लिए भी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट कर दिया है तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति हेतु नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए समिति का कार्यकाल निर्धारित है। अत: मैंने इस समिति में भी वित्तीय वर्ष 2026-2027 एवं 2027-2028 की अवधि हेतु सेवा करने के लिए सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट कर दिया है।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैंने इन समितियों के सभापति को भी नियुक्त कर दिया है।

उक्त समितियों के सभापति एवं सदस्यों की जानकारी पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से सदस्यों को दी जायेगी।

11. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सभापति ने सभा को अवगत कराया कि इस बजट सत्र में माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय अपने स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए किन्तु बजट सत्र की सभी बैठकों का उन्होंने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधनों से सदन की कार्यवाही का निरन्तर अवलोकन किया और सभा के संचालन के संदर्भ में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। आज इस सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेषित संदेश के वाचन के पूर्व मैं आप पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सभापति के रूप में मुझे कार्य करने में आप सभी ने अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया। आपके सहयोग और मार्गदर्शन से ही मैं सभापति के दायित्वों को निर्वहन कर सका।

माननीय सभापति द्वारा बजट सत्र 2026 के समापन अवसर पर माननीय विधान सभा अध्यक्ष द्वारा प्रेषित संदेश का वाचन ।

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के अष्टम् सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह बजट सत्र **23 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026** के मध्य आहूत था। नवीन विधानसभा भवन में यह प्रथम बजट सत्र था और यह हमारे लिए उपलब्धि है कि इस सत्र में पूर्व निर्धारित समस्त संसदीय कार्य सफलतापूर्वक संपादित हुए। इस बजट सत्र की अवधि में मैं अपनी शारीरिक अस्वस्थ्यता के चलते प्रारंभिक दिवस को छोड़कर लगभग शेष कार्य दिवसों में

उपस्थित नहीं रह सका। इसका मुझे आत्मिक रूप से खेद है परन्तु मेरा मन, पूरा ध्यान, सभा के कार्यों पर केंद्रित था इसलिए तकनीकी संचार माध्यमों से मैं इस सदन की कार्यवाही से निरंतर जुड़ा रहा। बजट सत्र के दौरान सदन के सुव्यवस्थित संचालन में जिस तरह आप सभी ने सहयोग प्रदान किया, यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के श्रेष्ठ संसदीय संस्कारों को प्रतिबिंबित और परिभाषित करता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आप सभी माननीय सदस्यगणों के प्रति हृदय की गहराईयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि संसदीय सदन एवं सदन की व्यवस्थाओं के प्रति आपके हृदय में सम्मान का भाव सदैव शाश्वत् और जागृत बना रहे।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉ. चरणदास महंत जी, संसदीय कार्यमंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगणों सहित आप सभी माननीय सदस्यों को मैं इस सत्र के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर अपनी ओर से बधाई देता हूँ विशेषकर सभापति तालिका के सदस्य, वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री विक्रम उसेंडी जी, माननीय सदस्य श्री प्रबोध मिंज जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, श्री दलेश्वर साहू जी आप सभी ने सभापति की भूमिका का दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहित किया। इस अवसर पर एक विशेष बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित, वरिष्ठ सदस्यगणों ने सदन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभापति के दायित्व को निर्वहन करने के लिए उदारतापूर्वक अपनी सहमति और सहयोग दिया। उनके इस व्यवहार से छत्तीसगढ़ विधानसभा की उच्च संसदीय भावना को और अधिक मजबूती मिली है। प्रदेश और देश में यह संदेश गया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य सदन की गरिमा, व्यवस्था और प्रतिष्ठा के निरन्तर संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के समग्र पहलुओं पर आप सभी ने व्यापक सारगर्भित चर्चा की और मुझे यह विश्वास है कि इन चर्चाओं से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज देश और अन्य विधान सभाओं में संसदीय मूल्यों की स्थापना के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है ऐसी विपरित परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के पालन की दिशा में जो अनवरत कीर्तिमान स्थापित किये जा रहे हैं, वे अपने आप में न केवल अद्वितीय हैं, बल्कि मैं समझता हूँ अनुकरणीय भी हैं।

इस सत्र में देश के उच्च सदन राज्य सभा के लिए दो माननीय सदस्यों का निर्वाचन हुआ, मैं माननीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी एवं माननीय श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर अपनी तथा सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में संसदीय सहृदयता का भाव आप माननीय सदस्यों के कार्य, विचार और व्यवहार से निरंतर मजबूत हो रहा है। पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्य भी अब संसदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्णतः निपुण हो चुके हैं। उदाहरण के लिए श्रीमती भावना बोहरा, श्री सुशांत शुक्ला, श्री राघवेन्द्र सिंह जी, श्री अटल श्रीवास्तव, श्रीमती शेषराज हरवंश जैसे अनेक सदस्य हैं जो सदन में किसी भी विषय पर सारगर्भित ढंग से अपने विचारों को सदन में रखते आ रहे हैं। वरिष्ठ सदस्यगण माननीय श्री अजय चन्द्राकर, माननीय श्री भूपेश बघेल, माननीय श्रीमती संगीता सिन्हा, माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद ने भी अपने अनुभव और ज्ञान से सदन की कार्यवाही को प्रभावी बनाने में महती भूमिका निभाई है।

प्रथम बार चुनकर आए भारसाधक मंत्रीगण और वरिष्ठ मंत्रीगणों ने पूर्ण कुशलता के साथ अपने विभागों का नेतृत्व किया मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों का योगदान प्रशंसनीय है विशेषकर संसदीय कार्यमंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में सदन के निर्बाध संचालन को बेहतर समन्वय के साथ सुनिश्चित किया। मैं उनके इस योगदान की सराहना करता हूँ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस सत्र में प्रश्नकाल का आप सभी माननीय सदस्यों ने प्राप्त अवसर का भरपूर लाभ लिया। प्रश्नकाल वह हथियार है जिसमें सदस्य सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। मैं बताना चाहूंगा कि इस सत्र में प्रश्न की महत्ता को देखते हुए माननीय अजय चन्द्राकर जी के एक प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा भी हुई और इस चर्चा में उन्होंने जो तथ्य रखे मैं समझता हूँ वे तथ्य छत्तीसगढ़ के इतिहास के अनमोल ज्ञान धरोहर बनेंगे।

आप माननीय सदस्यगणों से मेरा यह आग्रह है कि सदन की गरिमा और मर्यादा दोनों आपके कार्यकरण पर ही निर्भर है। जितना आप इस सदन की गरिमा का ध्यान रखेंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं नवोदित माननीय सदस्यगणों और वरिष्ठ माननीय सदस्यगणों दोनों से ही अनुरोध करता हूँ कि सदन की परम्परा और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए आप गम्भीर हों। आपका यही गुण आप में संसदीय परिपक्वता ला सकता है।

आप माननीय सदस्यों से मेरा यह भी आग्रह है कि अपने संसदीय ज्ञान को विस्तार देने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहें। विधानसभा के पुस्तकालय और संदर्भ शाखा का उपयोग करें। अपने वरिष्ठजनों से परामर्श लें क्योंकि किसी भी विषय पर आपका अध्ययन और जानकारी जितनी अधिक होगी आप उतने ही अच्छे ढ़ंग से अपनी बात को रख सकेंगे और आपके इस कार्य से निश्चित ही सदन में न केवल इससे चर्चा का स्तर बढ़ेगा, अपितु चर्चा परिणाम मूलक भी होगी। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट सत्र में माननीय सदस्यगणों में लगभग 320 पृष्ठ पुस्तकालय साहित्य संदर्भ उपलब्ध कराया गया। मेरी अपेक्षा है यह संख्या निरन्तर बढ़ती रहे।

माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों की मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि आपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का कुशलता से निर्वहन कर लोकतन्त्र में सजग सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका को अपने कार्य, विचार और व्यवहार से सिद्ध किया है। यह बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। आप माननीय सदस्यगणों की जनकल्याण के प्रति आपकी वचनबद्धता इस सत्र में स्पष्ट रूप से नजर आयी। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप माननीय सदस्यगणों ने पक्ष-प्रतिपक्ष के भाव से ऊपर उठकर, जनकल्याण को सर्वोपरि समझा।

इस बजट सत्र में राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग 2384 छात्र-छात्राओं ने विधान सभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया यह परम्परा आने वाले सत्रों में भी बनी रहे इसके लिए आप माननीय सदस्यगण प्रयास करेंगे।

विधान सभा लोकतन्त्र का पावन मंदिर है। लोकतान्त्रिक मूल्यों को मजबूती देना ही विधानसभा का मुख्य दायित्व है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस बजट सत्र में माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगभग 585 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया। इस कार्य से राज्य और देश में यह संदेश स्थापित हुआ कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार समाज के दिगभ्रमित युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य की आन्तरिक सुरक्षा, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस प्रेरणास्पद कार्य के लिए मैं माननीय श्री विजय शर्मा और उनके विभाग के सम्बद्धजनों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ।

परम्परा अनुसार बजट सत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर **17 मार्च से 19 मार्च 2026** को विधान सभा चिकित्सालय में

किया गया इस हेतु मैं स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन को अपनी ओर से और सदन की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

इस सत्र में संसदीय कार्यों, वित्तीय कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सम्पन्न किए गए। जिनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ नगर ग्राम निवेश विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक-2026 जैसे विधेयक सदन में प्रस्तुत हुए और उनका पारण हुआ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र के 26 दिवसों में कुल 15 बैठकों में लगभग 108 घंटे चर्चा हुई। 14 बैठकों में 86 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस सत्र में 1495 तारांकित प्रश्न एवं 1429 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 2924 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 603 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 220 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में कुल 244 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 137 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 40 सूचनाएं ग्राह्य और 31 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 370 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिनमें 115 ग्राह्य व 228 अग्राह्य रहीं। 31 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें 07 अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुए तथा 01 संकल्प स्वीकृत हुआ एवं 24 अस्वीकृत हुए। इस सत्र में 08 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 08 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 08 पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुमान पर सामान्य चर्चा में 09 घंटे 58 मिनट, वर्ष 2026-27 के बजट की अनुदान मांगों पर 47 घंटे 04 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 06 घंटे 49 मिनट चर्चा हुई।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ,

जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के सचिव, श्री दिनेश शर्मा सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र जुलाई माह के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह के मध्य संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी उद्गार व्यक्त किये।

(राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" एवं राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजायी गई)

(अपराह्न 4.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा